Form No-III

अज अदालत फर्द अहकाम (नियम 26)
उपखण्ड अधिकारी मुकाम.....रायसिंहनगर
हरदयाल आदि बनाम ओमप्रकाश आदि
किस्म मुकदमा 88,92ए,209 आरटीएक्ट
जी.सी.एम.एस. आईडी 2022/479 नम्बर 175 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
09.2022	वादीगण की ओर से श्री अजय तनेजा अधिवक्ता ने वाद–पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 19.10.2022 को पेश हो। (सुभाष चन्द्र) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर	
19/10/22	वकील पक्षकारान हाजिर। श्रीमान् एसडीएम साहब अवकाश/चुनाव/अन्य प्रशासनिक कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 21/11/22 को पेश हो। प्रति० सि० 4,9 मे आरे हो RA MC बाना अधि० वकालतनामा पेश किया	
21/11	वकील पक्षकारान हाजिर। पत्रावली वास्ते जवाब/तलबी प्रतिवादीगण दिनांक 23/11/22 को पेश हो	
23/11/22	वकील पक्षकारान हाजिर। श्रीमान् एसडीएम साहब अवकाश/चुनाव/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 21/12/22 को पेश हो।	
21/12	आज पत्रावली पारीगण स्वयं मय [illegible] उपस्थित होकर प्रार्थना [illegible] वाद विड्रा करने की अनुमति देने हेतु निवेदन करने पर पेराटुर्वी पारीगण के प्रार्थना करने के आधार पर वाद विड्रा करने की अनुमति दी जाती है वाद-पत्र पारीगण विड्रा आधार पर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसले से शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो	रूपाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2022.12.21 17:38:00 IST
Reason: SelfAttested